अहकाम
हुक्म क्र
में जा

पीठासीन अधिकारी – श्री रामचन्द्र मीना

(आर.ए.एस.)

प्र0स0 – 98/2016

उनवान

1 मिठु पिता जगरूप गुजर नि0 खातनखेडी तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)

————————(प्रार्थी)

बनाम

1. सेतुन पत्नि सुभान खा पठान निवासी खातनखेडी तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा
2. सुमित्रा पत्नि सावर लाल जाट निवासी उपरेडा, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

————————(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

: : निर्णय : : दिनांक – 27.12.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 06.12.2016 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम खातनखेडी पटवार मण्डल उपरेडा भू0अ0नि0 उपरेडा तहसील बनेड़ा** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 186 के आ0न0 1523/789 रकबा 4 बिस्वा, आ0नं0 1533/789 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बिस्वा** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय मे दिनांक 06.12.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम खातनखेडी पटवार मण्डल उपरेडा भू0अ0नि0 उपरेडा तहसील बनेड़ा** जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि **खाता संख्या 186 के आ0न0 1523/789 रकबा 4 बिस्वा, आ0नं0 1533/789 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बिस्वा** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक उपरेडा को 300/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाडा

4:– यह हे कि विपक्षीगण द्धारा आपसी सहमति से मना करने कि दिनाक से 3/11/16 बिनाय वाद उत्पन होकर निरन्तर जारी हे ।